

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक 04/STAF/2013/469
प्रति,

भोपाल, दिनांक 10/12/2013

समस्त संभागीय आयुक्त (राजस्व) म.प्र.।
समस्त कलेक्टर, म.प्र.।
समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.।
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र.।


विषय:—राज्य बीमारी सहायता निधि एवं मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के रोगियों को उपचार हेतु शासकीय अस्पतालों में भेजने के संबंध में।

संदर्भ :-संचालनालय का पत्र क्रमांक/4/रा.ब.सहा.नि/13/386 दिनांक 07.10.2013

—00—

विषयांतर्गत में संदर्भित अनुदेश में लेख किया गया था कि राज्य बीमारी सहायता निधि के हितग्राही रोगियों को शासकीय मेडिकल कालेज अस्पतालों/जिला अस्पतालों में उपचार/आपरेशन हेतु भेजे। यह वित्त विभाग के भी निर्देशों के अनुरूप है। लेकिन उपरोक्त निर्देशों का पालन अभी भी पूरी तरह नहीं हो रहा है।

कृपया उपरोक्त निर्देश का पालन सुनिश्चित करावें
संलग्न : संदर्भित अनुदेश की प्रति।


प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन


लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ.क्रमांक

भोपाल, दिनांक /12/2013

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ प्रेषित।

1. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, म.प्र.शासन मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र.।
4. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, सतपुडा भवन भोपाल।
5. समस्त अधिष्ठाता/अस्पताल अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज/अस्पताल म.प्र.।
6. उप सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
7. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.।


प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग